न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 03 / 2021

1 बजरंगलाल उम्र 44 साल पुत्र श्री बेणाराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती रामजानकी शर्मा उम्र 64 साल पत्नी श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासिनी बड़ा कुआ लालचन्दपुरा वाया झोटावाड़ा जिला जयपुर राज.। हाल आबाद ग्राम राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट / वादी

2 हुक्माराम पुत्र श्री बेणाराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 रतनलाल पुत्र श्री उदयराम
4 गोपाल पुत्र श्री उदयराम
5 दयालराम पुत्र श्री उदयराम
6 मुकेश पुत्र श्री उदयराम
7 मोहरी बेवा उदयराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दलेलपुरा तहसील नावां जिला नागौर।
8 राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसलाना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.।
9 श्रवणी पत्नी श्री लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
10 जमना देवी पत्नी श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
11 शिवदयाल पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति रैगर निवासी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
12 रामप्यारी पत्नी श्री लालाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 सोनी पत्नी श्री कालूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर।
14 उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 तहसीलदार महोदय दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी महोदय दांतारामगढ़ जिला सीकर दावा उनवानी रामजानकी शर्मा बनाम हुक्माराम वगै. मुकदमा नं. 77/2007 तारीख फैसला दिनांक 02.11.2010 जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का दावा डिक्री किया गया।

उपस्थिति :
1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 77/2007 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बंटवार व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 362/796, 363/795, 368, 369, 370, 371, 372,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

404/736, 468/753, 367 वाके ग्राम राजपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट व दावा में अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन पर कतई गलत रूप से तामील कुनिन्दा से मिलकर इन्कारी की रिपोर्ट करवायी गयी है तथा रिपोर्ट पर दो गवाहान के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा नोटिस चश्पा करने से रोकने का भी गलत तथ्य अंकित किया है। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के पास न्यायालय का सम्मन लेकर उसके घर कोई भी व्यक्ति नहीं गया। यदि अपीलान्ट के पास कोई सम्मन या सूचना पहुंचती तो वह जरूर विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होता। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपर्याप्त तामील को काफी मानकर अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लेकर उसे सुनवायी का मौका दिये बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दावा के प्रतिवादी संख्या 3 उदयराम के दावा दायरी से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। उसके कायम मुकामान दिनांक 18.07.2007 को बनाये गये। परन्तु कायम मुकामान रतन लाल, मुकेश व मोहरी के तामील के संबंध में कोई आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित नहीं किये गये। इनकी तामील करवाये बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 04.08.2010 को जो विभाजन प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है वह पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार करवाया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कहने पर तैयार किया गया है क्योंकि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं था और विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि डोटेड लाईन से दर्शायी गयी है और मौके पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई और मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की इच्छानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार द्वारा भिजवाने पर विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित कर दी। जो न्यायालय के स्वयं के आदेश दिनांक 21.04.2008 के विपरित होने से ही प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1/वादिया ने मौके पर कीमती व उपजाऊ कृषि भूमि अपने नाम से करवा ली। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बंटवार व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 362/796, 363/795, 368, 369, 370, 371, 372, 404/736, 468/753, 367 वाके ग्राम राजपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 18.07.2007 को अपीलान्ट के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक इस एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिए कोई चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को भी चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्ट द्वारा केवल अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। अंतिम डिक्री की अपील में प्राथमिक डिक्री से पूर्व की प्रकिया तामील के संदर्भ में आपत्ति नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय में कुल 9 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 2 अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री को चुनौती दी है। शेष प्रतिवादीगण ने चुनौती नहीं दी है। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 02.11.2010 के विरूद्ध दिनांक 19.01.2021 को 11 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बंटवार व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 362/796, 363/795, 368, 369, 370, 371, 372, 404/736, 468/753, 367 वाके ग्राम राजपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 18.07.2007 को अपीलान्ट के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक इस एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिए कोई चाराजोही नहीं की गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को भी चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्ट द्वारा केवल अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। अंतिम डिक्री की अपील में प्राथमिक डिक्री से पूर्व की प्रकिया तामील के संदर्भ में आपत्ति नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय में कुल 9 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 2 अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री को चुनौती दी है। शेष प्रतिवादीगण ने चुनौती नहीं दी है।

प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 02.11.2010 के विरूद्ध दिनांक 19.01.2021 को 11 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 20/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर